

पत्रांक सं०. ७ /UKZ/PMGSY/2020.

Date: १७.02.2020

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग

विषय : जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.3975 हे० वन भूमि का हस्तांतरण

संदर्भ: 345/FP/UK/road/38448/2019 dated 03.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर पायी गई इंगित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

Pointwise replies of EDS dated 03.08.2019 for the proposal no. FP/UK/ROAD/38448/2019

S.No	EDS	REPLY
1.	पूर्व निर्मित नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में साथ संलग्न करें एवं तदनुसार मानचित्र एवं वारचार्ट में भी उल्लेख करें।	स्वीकृति संलग्न है।
2.	मक डिस्पोजल किस भूमि पर प्रस्तावित किया गया है उसका स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में किया जाए।	मक डिस्पोजल नाप भूमि में प्रस्तावित है। मक डिस्पोजल प्लान संलग्न है।
3.	ऑथोरिटी लेटर में क्षेत्रफल में कटिंग कर सूचना भरी गई है। अतः विना कटिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न करें एवं निर्गत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र में अधिकारी का नाम भी अंकित करें।	विना कटिंग का प्रमाणपत्र संलग्न है।
4.	एफ.आर.ए. प्रपत्र के जिलाधिकारी के पत्र में तिथि में सुधार किया गया है। जो कि भारत सरकार को मान्य नहीं है। अतः विना कटिंग का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	विना कटिंग का FRA letter संलग्न है।
5.	ग्राम-जाखणी एवं विजार के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्षेत्रफल में भिन्नता है। अतः सही सूचना भरी जाए।	जाखणी और विजार का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	प्रस्ताव जाखणी के नाम से है। मानचित्र के अनुसार मार्ग 2 भागों में बंट रहा है। औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रस्तावित किया जाय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग दो भागों में बंट रहा है। जिसमें एक भाग जाखणी और दूसरा भाग कांडा गांव तक जा रही है। चूंकि कांडा गांव जाखणी ग्रामसभा का ही एक तोक है अतः प्रस्ताव जाखणी के नाम से बनाया गया है।
7.	मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण को भी दर्शाया जाए एवं उसका निरस्त करने का स्पष्ट कारण संलग्न करें।	मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण को दर्शाया गया है एवं वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का प्रमाणपत्र भी संलग्न है।
8.	प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में लगभग वृक्ष प्रभावित होंगे अंकित है, परंतु वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गई है।	प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन कर संलग्न किया गया है।
9.	बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस बिंदु का निराकरण वन संरक्षक कार्यालय स्तर से होना है।
10.	लैंड शेड्यूल वन भूमि का योग एवं कुल भूमि का योग अलग-अलग रूप से भरा जाए।	लैंड शेड्यूल में संशोधन कर संलग्न किया गया है।
11.	समझौता ज्ञापन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का नाम अंकित नहीं है।	समझौता ज्ञापन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का नाम अंकित कर संलग्न किया गया है।

12.	मक डंपिंग प्लान में swell factor जोड़कर आकलन किया जाए एवं उत्पादित होने वाले मलवे का पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रफल आकलन किया जाय।	संशोधित मक डंपिंग प्लान संलग्न किया गया है।
13.	वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित करते हुये वन भूमि एवं नाप भूमि के वृक्षों का विवरण ऑनलाइन के अनुसार अलग-अलग दिया जाए।	वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित कर संलग्न किया गया है।

संलग्न: यथोपरि ।



उत्तराखण्ड जोन
एन. पी.सी.सी.

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभि. ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग- 3

देहरादून: दिनांक 21 अगस्त, 2007

विषय: एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित उत्तराखण्ड सड़क कार्यक्रम (USRIIP) के फेज-1 के अन्तर्गत चयनित 20 (बीस) मोटर मार्गों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषयक अ.प्र. पत्र सं० 306/113(8)याता/ उत्तरांचल-2006 दिनांक 23.11.2006 तथा पत्र सं० 409/113(10)याता/उ०/07 दिनांक 24.07.2007 के सन्दर्भ में हुये आ.प्र. पत्रों का निर्देश हुआ है कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित उत्तराखण्ड सड़क कार्यक्रम (USRIIP) के फेज-1 के अन्तर्गत चयनित मोटर मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु अ.प्र. पत्र सं० 306/113(8)याता/ उत्तरांचल-2006 के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त के परीक्षणोपरान्त अ.प्र. पत्र सं० 409/113(10)याता/उ०/07 दिनांक 24.07.2007 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई राशि 25.00 करोड़ की धन राशि से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी।

2. आगणन में उल्लिखित दर का विश्लेषण केवल आगणन प्रस्तावित गणना हेतु अनुबन्ध है अतः प्रारंभ का आगणन न। विस्तृत तकनीकी स्वीकृति हेतु गठित किया जायेगा, तब यह अधीक्षण अभियन्ता का यह पूर्ण उत्तरदायी होगा कि आगणन में ली गई सभी दरें, दूरियों एवं क्वायरी शत प्रतिशत सही हैं, अपने स्वीकृत तकनीकी नोट में यह प्रमाण पत्र देना होगा, तथा उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करानी होगी।

3. आगणन में ली गई सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है तथा उन दरों को बाजार भाव से अथवा रेट कान्ट्रैक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी उसी के अनुसार आगणन में दूरे अनुमन्य होंगी।

POCO
SHOT ON POCO F1

9/2/2008

2020/2/10 16:16

4. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्थल का भू-स्थिति निरीक्षण/सर्वे कर विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, विना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को किसी भी दशा में प्रारम्भ न कराया जाय।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्गस है, स्वीकृति नार्गस से अधिक व्यय कदापि न किया जाय इसका पूर्ण उत्तरदायी निर्माण इकाई का होगा तथा यह भी ध्यान रहे कि जिस मद हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, वह राशि उसी मद में की जाय एक मद की स्वीकृत राशि दूसरे मद में न की जाय यदि आवश्यकता हुई तो विशेष परिस्थितियों में शारान की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त अनुबंध की औपचारिकताएं एवं तकनीकी दृष्टि का मध्यनजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग एवं जिन विभागों के विशिष्टियों के आधार पर विस्तृत आगणन गठित किया जाय, उन्हीं विशिष्टियों के आधार पर निर्माण कार्य को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. एक मुश्त प्राविधानों का जो प्राविधान आगणन में जिस मद हेतु किया गया है। नियमानुसार कार्य प्रारम्भ से पूर्व विस्तृत आगणन प्रस्ताव गठित कर सक्षम प्राधिकारी से उसी मद हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
8. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय तथा निर्माण सामग्री का नियमानुसार किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग कराना आवश्यक होगा एवं उपर्युक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाई जाय तथा प्रत्येक माह सेम्पिल टेस्टिंग की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।
9. कार्य सम्पादित कराते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश के शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.06.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
10. नियमानुसार स्थल पर साईट आर्डर बुक, प्राविधिक स्वीकृति आगणन की सत्य प्रति एवं विस्तृत मानचित्र अवश्य हर समय उपलब्ध रहें तथा जिस भी अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण हो उसमें दिये गये निर्देश तथा आगे दिये गये जाने वाले कार्यों के लिये साईट आर्डर बुक पर अवश्य इंगित किया जाय ताकि उच्च अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के समय साईट आर्डर बुक को प्रस्तुत किया जाय तथा साईट आर्डर बुक में पूर्व में जो निर्देश दिये गये हैं उसकी पालन आख्या हुई अथवा नहीं। इसकी पुष्टि भी इंगित की जाय। यदि उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे अपनी संस्तुति सहित साईट आर्डर बुक में इंगित किया करें, तथा यदि कार्य किन्ही कारणों से स्वीकृत लागत से सम्पादित नहीं हो सकता है तथा कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित करना आवश्यक हो तो पुनरीक्षित आगणन के साथ साईट आर्डर बुक की प्रति संलग्न की जाय। यह सभी कार्य हेतु लागू होंगी, इसके साथ ही कार्य चाहे उत्तराखण्ड राज्य से किसी भी मद में स्वीकृत हो या भारत सरकार तथा अन्य श्रोतों से स्वीकृत हो यह नियम सभी पर लागू होगा।

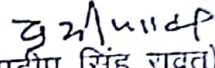
स्थल पर किसी भी प्रकार की नींव खुदान की जाती है जैसे भवन निर्माण हेतु, गेठु निर्माण हेतु, डाम से सम्बन्धित, नलकूप, ट्रौली आदि की समस्त की नींव संरचना का कार्य भी प्रारम्भ किया जाना होगा जबकि इसमें भूकम्परोधी का समस्त प्राविधान एवं भू-गर्भिता द्वारा निश्चित की गई भू-भारता का समावेश किया गया जाना आवश्यक है।

POCO
31010N20000

22/11/14

2020/2/10 16:17

- इस हेतु शासन से कम से कम अधीक्षारी अभियन्ता तक के अधिकारी का कार्य प्रारम्भ करते समय सभी का उत्तरदायित्व सीमा जाता है यदि उनमें से किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अधीक्षारी अभियन्ता का होगा।
12. समस्त सभी सीमेन्ट के कार्यों का सम्बन्ध विभाग में कार्यरत कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर का होगा, सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह हर समय सीमेन्ट की स्टालिंग की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे तथा इसकी पुष्टि अपने साईड आर्डर बुक में इंगित करते रहेंगे।
13. कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो का पूर्ण उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा तथा जिन विभागों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी नियुक्त न हो तो इस दशा में व लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को स्थल निरीक्षण के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा।
14. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशा. संख्या: 347/XXVII(2)/ 2007 दिनांक 31 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (प्रदीप सिंह रावत)
 उप सचिव।

24-8 ()/ 111(3)07 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
 जलेखाकार (लेखाकार एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, इलाहाबाद।
 युक्त गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
 जफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 र सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
 नाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
 क्षण अभियन्ता, 24वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
 निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक।
 शीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

 (प्रदीप सिंह रावत)
 उप सचिव।

POCO
 SHOT ON POCO F1

2020/2/10 16:17

शासनादेश संख्या 348 / 111(3) / 07-903(ए.डी.वी.) / 2006 दिनांक 31 अगस्त, 2007
का संलग्नक

जनपद	सड़क का नाम	लम्बाई	घनराशि	घनराशि करोड़ रुपये में टी0ए0सी0 वित्त से औचित्यपूर्ण पायी गयी घनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-08 व्यय किये जाने वाली घनराशि
Uttarkashi,	Kuwa-Kafinol Rarhi	47.546	12.20	11.37	1.00
Dehradun	Naugaon-Purola	17.888	4.68	4.35	0.2
	Kalsi-Chakrata	41.565	13.99	13.00	1.00
		18.493	6.36	5.90	0.2
Chamoli.	Nandprayag-Ghat Motor Road			5.26	0.2
Rudraprayag	Rudraprayag-Pokhri-Karanprayag	14.512	5.79		
	Jhakoli-Guptkashi Motor Road	13.10	5.82	5.04	0.2
				2.2	
Udham Singh Nagar	Dhakia Gulabo-Paiga-Mukundpur	25.00	17.34	15.37	1.00
	Jaitpur-Dhanori	10.80	8.19	7.58	0.5
	Zafarpur-Gularbhoj	13.80	7.89	7.19	0.5
Nainital,	Ranikhet-Mohan	70.20	29.26	26.84	2.0
Almora	Betalghat-Bhatrojkhan	16.70	4.46	4.32	0.2
	Nathuakhan-Suyalbad	29.00	10.77	9.89	0.5
Almora,	Almora-Bageshwar	72.90	38.08	35.13	3.0
Bageshwar					
Almora,	Barechina-Sheraghat	42.30	22.09	20.39	1.7
Bageshwar	Udiyari Bend-Kanda	25.70	13.39	12.48	1.0
Pithpragarh	Udiyari Bend-Thal	22.00	14.64	13.59	1.0
Champawat	Lohaghat-Chaumel	7.50	2.36	2.15	0.2
	Thuligarh-Bhairav Mandir	6.30	9.99	9.38	1.00
	KaKrali-Thuligarh	13.00	21.04	19.79	2.0
	Pulla-Chamdeol-Shiling	6.50	3.51	3.35	0.2
Total			251.85	232.37	18.00

(रुपये अठारह करोड मात्र)

प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

लैंड शेड्यूल

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि.मी. 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण

(सिविल एवं सोयम वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	परियोजना की लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवृत्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल आवृत्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
वन पंचायत विजार	चमोली	घाट	0	0	0	0
वन पंचायत जाखणी	चमोली	घाट	0	0	0	0
सिविल भूमि विजार	चमोली	घाट	550	7	0.385	2.3975
सिविल भूमि जाखणी	चमोली	घाट	2875	7	2.0125	
नाप भूमि विजार	चमोली	घाट	25	7	0.0175	0.63
नाप भूमि जाखणी	चमोली	घाट	875	7	0.6125	
योग			4325	7	3.0275	3.0275

प्रयोजन एजेंसी

प्रयोजन एजेंसी

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला मजिस्ट्रेट

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

जिला अधिकारी

FORM-1

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated 24/02/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt0 dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of the linear project, it is certified that 2.3975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Nandprayag Ghat Motor Road k.m 15 to Jakhni Motor Road under PMGSY in Chamoli (purpose for diversion of forest land) in Chamoli district falls within jurisdiction of Village Jakhni Village in Ghat Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.3975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and District level Committee are enclosed.
- The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabha's have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
चमोली


प्रभागीय वनाधिकारी
बन्नीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

Office of the Executive Engineer
PMGSY Division, PWD Karanprayag-2

Chamoli

Phone, Fax : 01363244103.

E-mail- eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com

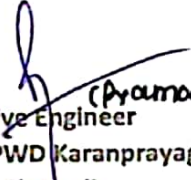
Address- Subhash Nagar karnaprayag
Distt. Chamoli
Uttarakhand-266444

No. Tech/Forest/PMGSY/2017-18/246

To Whom it May Concern To

Name of the work: Diversion of 2.3975 Hectare of Forest Land In favour of Rural Development for construction of Nandprayag Ghat Motor Road Km 15 to Jhakhni Motor road under PMGSY.

It is to state that Mr. Rajendra Singh Diwakar, Asst. Engineer, PMGSY Division, PWD Karanprayag-2, is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the project as mentioned above on behalf of PMGSY Division PWD PIU-Karanprayag-2 i.e user agency.


Executive Engineer
PMGSY Division, PWD Karanprayag-2
Distt. Chamoli
(Pramod Chakraborty)

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 24 / 01 / 2019 को पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग के द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हौरी लाल जी वनदरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री जगमोहन विष्ट जी राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह दिवाकर सहायक अभियन्ता, श्री सुधीर चन्द्रा एवं श्री प्रीतम कण्डारी कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री सचिन सुरीरा अमीन तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थितिक आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से जो समरेखण/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 0.63 है0 नाप भूमि 2.3975 है0 सिविल भूमि से 0.00 है0 वन पंचायत 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। कुल 2.3975 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

इस समरेखण पर चुने गये स्थल पर लगभग 4 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें 2 बाँझ प्रजाति के प्रभावित होंगे। स्विट्जरलैंड नामक वन भूमि अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित आरक्षित वन 0.00 कक्षाओं से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षाओं की वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है, एवं इन कक्षाओं में 3 प्रजाति के हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि ग्राम एवं परगी 30 प्रजाति के वन है, एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति के वन है, जिनका वर्तमान वन आच्छादन है।

चयनित समरेखण में कुल 54 पौधों को अन्य स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्टिय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हस्सा है/नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नहीं होगा।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा, उसके निस्तारण हेतु संलग्न योजनानुसार स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 30°16'19.98"N 79°25'36.9"

30°16'8.80"N 79°25'43.12"E	30°16'09.9"N 79°23'45.96"E	30°16'09.29"N 79°25'48.64"E
30°16'19.98"N 79°25'36.96"E	30°16'15.06"N 79°25'47.46"E	30°16'15.36"N 79°25'49.61"E
30°16'24.50"N 79°25'34.83"E	30°16'21.58"N 79°25'40.70"E	30°16'22.70"N 79°25'48.26"E
30°16'28.39"N 79°25'38.67"E	30°16'27.78"N 79°25'41.61"E	30°16'27.17"N 79°25'43.20"E

हस्ताक्षर प्रयोक्ता एजेन्सी	हस्ताक्षर वन विभाग	हस्ताक्षर राजस्व विभाग	हस्ताक्षर अन्य दावेदार	हस्ताक्षर जन प्रतिनिधि
प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि

एम0 एस0 विष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील.....
जनपद-चमोली

नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि मी. 15 से जाखणी मोटर मार्ग तक 4.43 कि मी० मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित वृक्षों की व्यासवार गणना सूची																		
क्र.सं.	भूमि प्रकार	वृक्ष गणना			व्यासवार वृक्ष गणना												योग	
		प्रजाति	साइंटिफिक नाम	किस्म	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	बिजार सिविल	उत्तीस	Alnus nepalensis	हरा खड़ा	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
		जामून	Syzgium cumini	हरा खड़ा	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		रीठा	Sapindus mukorossi	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		सुरई	Others	हरा खड़ा	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		चीड़	Pinus roxburghii	हरा खड़ा	0	4	8	1	1	0	0	0	0	0	0	14		
		सेमल	Bombax Ceiba	हरा खड़ा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
		खागसा	Others	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		तुन	Toona ciliata	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3		
			योग			11	9	2	4	0	1	0	0	0	0	27		
2	बिजार नापखेत	तुन	Toona ciliata	हरा खड़ा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
		खड़ीक	Celtis australis	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
			योग			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2		
3	जाखणी आबंटित भूमि कृषि हेतु	तिमला	Others	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		महुवा	Mammea Longifolia	हरा खड़ा	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3		
		आंवला	Others	हरा खड़ा	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		चीड़	Pinus roxburghii	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
			योग			4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7		
4	जाखणी सिविल	चीड़	Pinus roxburghii	हरा खड़ा	0	5	6	2	3	0	0	0	0	0	0	16		
		बांज	Cercus leucotrichoph	हरा खड़ा	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
			योग			5	6	4	3	0	0	0	0	0	0	18		
			कुल योग			20	15	10	8	0	1	0	0	0	0	54		

वन दरोगा
चमोली रेंज

वन अधिकारी,
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट
कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई - 4.325 कि0मी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों की जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से
निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	बिजार	225
2	जाखणी	645
3	काण्डा	60
	योग	930

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
& लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

परियोजना का नमा:-जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग। कि०मी० 4.325।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा याचित भूमि २.३५३५ है० सिविल सोयम भूमि की मांग न्यूनतम है, इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

अभिमान कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नहरप्रमाण घाट के किन्हीं 1.5 से जारखी मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्रम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जारखी
तहसील-घाट, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जारखी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.34 हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 2.34 हे० वन भूमि का जारखी मोटर मार्ग निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जारखी द्वारा दिनांक/01/2019 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिख गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जारखी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जारखी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित



ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्रन्थ विकास विभाग को हस्तान्तरण ।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिजार

तहसील घाट, जिला चमोली

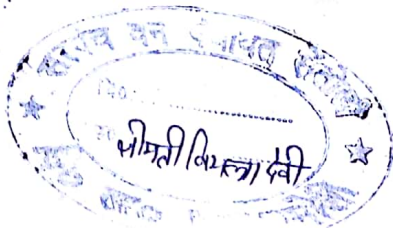
अनापति प्रमाण पत्र

उत्तराखंड में जनपद चमोली के अंतर्गत जाखणी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि 2.3975 हे० सिविल सोयम भूमि है०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 2.3975 वन भूमि का पी.एम.जी.एस.वाई विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिजार द्वारा दिनांक 27.01.2019 की संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिजार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी.एम.जी.एस.वाई कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

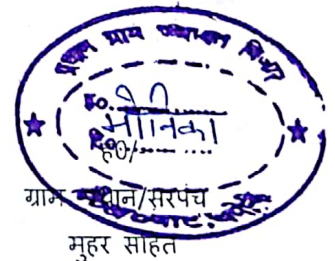
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित



ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

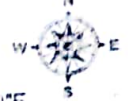
डिजिटल मैप -- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

34

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale: 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/07



Legend

- Muck Disposal Sites
- Link Road
- Proposed Road
- Altranet Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वन अधिकारी
बनीनाथ वन प्रभाग, मोरेखरा

जिला अधिकारी
चमोली

वन विभाग
मुख्य अभियंता
बनीनाथ वन प्रभाग, मोरेखरा

अधीक्षक
जे

अधीक्षक
जे

Ex.E S.Y Division
P.W.D. Karanprayag

Name of work: Construction of Nandprayag Ghat Motor Road KM 15 to Jakhni Motor Road under PMGSY.

Muck Disposal plan

Muck generation and proposed disposal model plan

S.no	Item	Quantity	Unit
1	Material excavated in hill side cutting	25045.00	Cum
	Swell factor @40%	10018.00	Cum
	Total	35063.00	Cum

Disposal and use of generated material

S.no.	Item	Quantity	Unit
1	R.R stone masonry laid in 1:5	2213.58	Cum
2	R.R stone masonry laid in dry	2826.25	Cum
3	Hand packed stone filling	450.26	Cum
4	Construction of wore crates	1141.88	Cum
5	Construction of parapet	40.23	Cum
6	Granular sub base/ parapet	15853.02	Cum
	Total used material	22525.22	Cum
	Material to be disposed in dumping yard	35063.00- 22525.22=12537.78 Say 12538.00	Cum

Location and quantity of debris Disposal

Location of dumping yard	Size of dumping yard	Capacity of dumping yard in Cum	Type of land	Name of land owner name & village	Land area used for dumping yard (sqm)	Latitude	Longitude
0/13	60x4.83x4.15	1202.67	Nap	As per attached	290.00	30°16'19.950"	79°25'26.270"
1/31	50x5x6	1500.00	Nap		250.00	30°16'22.530"	79°25'49.840"
2/23	150x4.86x7	5103.00	Nap		729.00	30°16'27.410"	79°25'40.050"
0/2 (L.R)	160x4.93x6	4732.80	Nap		788.80	30°16'22.000"	79°25'29.990"
	Total	12538.00			2057.80		

J.E.
Ravinder

वन क्षेत्राधिकारी
बमौली रैज
बरीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Works
Karanprayag (Chamoli)

डा. वन संरक्षक
वन प्रभाग गोपेश्वर

समझौता ज्ञापन

परियोजना का नाम:- पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जनपद चमोली में नन्दप्र याग घाट मोटर मार्ग के किमी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु 2.3975 है0 के बदले कुल अवनत आरक्षित वन भूमि 4.795 है0 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग के देवाल रेंज में नवाली पंचम क0न0 २ हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिस पर स्वयं वन विभाग का स्वामित्व है। उक्त भूमि से वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

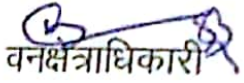

प्रमाणित वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 वरुण
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 वरुण

कार्य का नाम -जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण ,लम्बाई ,4.325 कि0मी0

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु चिन्हित.....
.....नवाली पंचम के.न. 11 के 1.795 हे. स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वनक्षेत्राधिकारी


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय यज्ञाधिकारी
सर्वोच्च वन प्रमाण, मोरेवरा

